झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
एकादश (बजट) सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 29 फाल्गुन 1944 (श0) / 20 मार्च, 2023 (ई0) को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
552–	विधि– 04	श्री मनीष जायसवाल	लोक अभियजको की नियुक्ति।	विधि	24.02.2023
553–	ग0– 51	श्री किशुन कुमार दास	कर्त्तव्य भत्ता का भुगतान।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.03.2023
554–	ग0– 21	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	सम्मान दिलाना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.02.2023
555–	ग0– 23	श्री समीर कुमार मोहन्ती	वैकल्पिक उपाय निकालना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	09.03.2023
556–	का0– 05	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	मानदेय में एकरूपता	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	23.02.2023
557–	का0– 20	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	अनुमंडल का दर्जा।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	09.03.2023
558–	ग0– 52	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	जमीन खाली कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.03.2023
559–	ग0– 20	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	थाना में शामिल करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.02.2023
560–	का0– 21	श्री सुदेश कुमार महतो	अनुसूचित जनजाति में शामिल करना।	कार्मिक, प्रशा0 सु0 तथा रा0	09.03.2023

01.	02.	03.	04.	05.	06
561—	गo— 45	श्री नवीन जायसवाल	कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	09.03.2023
562—	गo— 48	श्री सुदेश कुमार महतो	आश्रितों की नियुक्ति।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	09.03.2023
563—	गo— 37	सुश्री अम्बा प्रसाद	माँग पूरा करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	02.03.2023
564—	काo— 22	श्री बिरंची नारायण	सेंट्रल लिस्ट में शामिल करना।	कार्मिक, प्रशाo सुo तथा राo	09.03.2023
565—	गo— 38	श्री अनन्त कुमार ओझा	वर्दी भत्ता देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	02.03.2023
566—	गo— 50	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	अर्द्धसैनिक बलों का पदस्थापन।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	09.03.2023
567—	काo— 15	श्री अमित कुमार मंडल	सरकारी नौकरी देना।	कार्मिक, प्रशाo सुo तथा राo	02.03.2023
568—	गo— 35	सुश्री अम्बा प्रसाद	समतुल्य वेतन एवं भत्ता।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	02.03.2023
569—	काo— 12 (मुद्रित)	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	जाति प्रमाण—पत्र निर्गत करना।	कार्मिक, प्रशाo सुo तथा राo	08.02.2023
570—	गo— 42	श्री कमलेश कुमार सिंह	पुलिस पिकेट भवन का निर्माण।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	04.03.2023
571—	गo— 05	श्री विनोद कुमार सिंह	विधि व्यवस्था सुदृढ़ करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबं	17.02.2023
572—	काo— 17	श्री मनीष जायसवाल	प्रावधान का अनुपालन। करना।	कार्मिक, प्रशाo सुo तथा राo	02.03.2023
573—	काo— 24	श्री रामदास सोरेन	उपसमाहर्त्ता का पदस्थापन।	कार्मिक, प्रशाo सुo तथा राo	13.03.2023
574—	काo— 08	श्री राजेश कच्छप	नीति निर्धारण करना।	कार्मिक, प्रशाo सुo तथा राo	24.02.2023

राँची,
दिनांक— 20 मार्च, 2023 (ईo)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

556- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक- 1122 दिनांक-27.02.23 के द्वारा वित्त विभाग में स्थानांतरित।

573- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक- 1520 दिनांक-27.02.23 के द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित।

ज्ञाप संख्या– झा०वि०स० (प्रश्न)–02/20–1342/वि०स०, रांची, दिनांक–18/03/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा० मुख्यमंत्री/मा० मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

17/3/023

(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा०वि०स० (प्रश्न)–02/20–1342/वि०स०, रांची, दिनांक–18/03/23

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

17/3/023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा०वि०स० (प्रश्न)–02/20–1342/वि०स०, रांची, दिनांक–18/03/23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा, जे०भी०एस० टी०भी० शाखा/ऑनलाईन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

17/03/023

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष/

3/m
15/03/23

(552)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–विधि–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में विगत 03 वर्षों में पॉस्को, साइवर एवं एन०डी०पी०एस० एक्ट अंतर्गत अबतक 10 हजार मामले राज्य के विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज हुई है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में विगत 03 वर्षों में पोक्सो एक्ट में 3388 साईबर में 2972 एवं एन०डी०पी०एस० एक्ट 1644 कुल–8004 काण्ड दर्ज हुए है।
2	क्या यह बात सही कि खण्ड–1 में वर्णित मामले में विशेष कोर्ट का गठन कर स्पीडी ट्राईल का प्रावधान है जिसमें राज्यों के सभी व्यवहार न्यायालयों में अधिवक्ता वर्ग से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का मापदण्ड निर्धारित है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही कि हजारीबाग सहित राज्य के अन्य जिलों में अब तक सरकार खण्ड–01 में वर्णित मामले में दोषियों को सजा दिलाने हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति नहीं की गई है जिसके कारण उक्त मामले में सुनवाई प्रभावित हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय में जिला–पलामू, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, राँची तथा देवघर में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गयी है। शेष प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित एक्ट अंतर्गत राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संबंधित न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–06/वि०स०–01/2023–...1329.../ राँची, दिनांक– 18/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–364, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

553

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–51 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों का कर्त्तव्य भत्ता माह अप्रैल, 2018 से माह दिसम्बर, 2019 तक का भुगतान राशि 54,05,100 (चौवन लाख पाँच हजार एक सौ) रूपये अबतक लंबित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, चतरा ने पत्रांक–329 सा0 दिनांक–04.10.2018, 257/सा0, दिनांक–13.06.2019,404/सा0, दिनांक– 05.09.2019, 341/सा०, दिनांक–24.12.2020 एवं 286/सा0, दिनांक–04.08.2021 तथा पत्रांक–235, दिनांक–21.06.2022 द्वारा गृह रक्षकों के लंबे समय से कर्त्तव्य भत्ता नहीं मिलने के फलस्वरूप उनके बीच आर्थिक संकट/भुखमरी की स्थिति आने के विषय को अंकित करते हुए आवंटन की मांग करने के बावजूद अबतक विभाग द्वारा आवंटन नहीं भेजा जा सका है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार गृह रक्षकों का कर्त्तव्य भत्ता माह–अप्रैल, 2018 से माह दिसम्बर, 2019 तक भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य अंतर्गत कस्तुरबा विद्यालय में कार्यरत गृह रक्षकों के बकाया भुगातन हेतु जिसमें चतरा जिला भी सम्मिलित है, पत्रांक–3211, दिनांक–18.06.2019 एवं पत्रांक–844, दिनांक–20.02.2020 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन भुगतान की अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराने के लिए महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक–1377, दिनांक–15.03.2023 के द्वारा महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची को स्मारित करते हुए इस निमित्त शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (ब०) सत्र–23/2023–1333/ राँची, दिनांक– 18/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1117, दिनांक–13.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

554

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुण्डी थाना क्षेत्र में दिनांक–21.08.2008 को यूको बैंक गिरिडीह का कैश वैन (वाहन) डकैतों द्वारा लूट लिया गया था,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि टुण्डी थाना में पदस्थापित थाना प्रभारी आदित्य कुमार मिश्र, पु0अ0नि0, दिगम्बर मांझी, हव०, जिरगा मिंज, पु०–276, मो0 अजीज अंसारी, पु०–265, औरंगजेब, पु०–278, परीक्षित महतो, पु०–87, सुरेश सोरेन एवं चा0पु0, मो0 अजीज द्वारा डकैतों का पीछा कर बहादुरी पूर्वक सामना कर अदम्य साहस का परिचय देकर बैंक के लुटे गए पैसों को मुक्त कराया गया;	स्वीकारात्मक। इस संबंध में टुण्डी थाना काण्ड संख्या–90/08, दिनांक–12.08.2008, धारा–307/332/353/414/412/34 मा०द०वि० एवं 25 (1–बी०) ए०/26/27/35 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत काण्ड दर्ज की गयी थी।
3	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला मे पदस्थापित तत्कालीन पुलिस अधीक्षक खण्ड–2 में अंकित पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिलाने हेतु अनुशंसा पत्र प्रेषित किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्णित काण्ड में साहसिक कार्य करने वाले खण्ड–2 में अंकित पुलिस कर्मियों को उचित सम्मान दिलाने के विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। सम्प्रति सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15/वि०स०–06/2023–1299/ राँची, दिनांक– 18/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–383, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में खतियानधारी मुसलमान संप्रदाय के लोगों का निवास है, जिनके खतियान में जाति मुसलमान उल्लेख है, जबकि मुसलमान कोई जाति नहीं बल्कि Religion है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मुसलमानों के खतियान में जाति मुसलमान उल्लेख होने के कारण सामान्य प्रक्रिया के तहत् उनके नाम जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे मामलों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के परिपत्र सं0–1754, दिनांक–25.02.2019 के कंडिका–15 के आलोक में कतिपय मामले में खतियान एवं निबंधन कागजात में व्यक्ति की जाति हिन्दू, मुस्लिम, मारवाड़ी, क्रिस्तान आदि अंकित पाये गए हैं तथा ऐसे व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचितृ जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी विशेष जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन समर्पित करते हैं, तो ऐसे सभी मामलों में उक्त पत्र के कंडिका–13 में उल्लेखित जांच प्रक्रिया के अनुसार जाति निर्धारण कर प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय लिया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया का वैकल्पिक उपाय निकालने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–20/2023 का0–1583/रांची, दिनांक 17/03/2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–1098, दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.23

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

556

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 20.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–05 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है, कि अनुबंध पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर को मनरेगा, PMAY-G-02 में मानदेय 10,000/– समग्र शिक्षा जिला कार्यालय में मानदेय 23,762/– समग्र शिक्षा प्रखण्ड कार्यालय में मानदेय 15,000/– निर्वाचन में 26,700/– तथा अन्य स्थानों में अलग–अलग निर्धारित किया गया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। (i) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 1028 दिनांक 04.08.2022 द्वारा मनरेगा योजना के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों का मासिक मानदेय निर्धारित है, जिसमें Computer Assistant के निमित्त 5 वर्ष से कम अनुभव के लिए रु० 14,300/– एवं 5 वर्ष से अधिक अनुभव के लिए रु० 14,800/– मासिक मानदेय का निर्धारण किया गया है। उपर्युक्त क्षेत्रीय मनरेगा कर्मियों के मासिक मानदेय का व्यय मनरेगा अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में प्राप्त 6% प्रशासनिक मद से किया जाता है। (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत राज्य स्तरीय PMU में संविदा के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का अधिसूचना संख्या 3753 दिनांक 04.10.2019 द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर का मासिक मानदेय रु० 18,190/– निर्धारित है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का अधिसूचना संख्या 1016 दिनांक 01.03.2017 द्वारा जिला स्तरीय पदों के लिए PMU में लेखापाल–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर का रु० 15,000/– एवं प्रखण्ड स्तरीय पदों के लिए PMU में लेखापाल–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर का रु० 10,000/– निर्धारित है। जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर उपर्युक्त कर्मियों के मासिक मानदेय का भुगतान ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लिए प्राप्त 4% प्रशासनिक व्यय हेतु कर्णांकित राशि से किया जाता है।

	(iii) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , झारखण्ड अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान Frame Work for Implementation के Norms के वित्तीय intervention के अनुसार प्रखण्ड स्तरीय डाटा इंट्री ऑपरेटर का पद सर्व शिक्षा अभियान के B.R.C. मद के अंतर्गत स्वीकृत है तथा इन्हें भारत सरकार के Project Approval Board के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Academic Spport Through BRC/URC/CRC के अंतर्गत स्वीकृत बजट के अनुसार रु॰ 15,000/– मासिक मानदेय दिया जाता है। (iv) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1965 दिनांक 02.06.2017 द्वारा राज्य सरकार के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को रु॰ 28,000/– एवं अन्य कार्यालयों के लिए रु॰ 26,300/– एकमुश्त/संविदा राशि प्रतिमाह निर्धारित है। उपरोक्त वित्त विभागीय संकल्प मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग सहित राज्य सरकार में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत वैसे कर्मियों के लिए प्रभावी है, जिनकी संविदा पर नियुक्ति वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 4569 दिनांक 05.07.2002 के आलोक में हुई है।
(2.) क्या यह बात सही है कि अनुबंध के आधार पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर के मानेदय में एकरूपता नहीं होने के कारण कम मानेदय मिलने वाले कर्मी में असंतोष की भावना पनप रही है ?	अस्वीकारात्मक।
(3.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी कार्यालयों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानेदय में एकरूपता लाते हुए सम्मानजनक मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 में स्पष्ट है कि राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों के अलग–अलग योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाती है, जिसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मियों के लिए अलग–अलग मापदण्ड यथा नियुक्ति प्राधिकार, पदनाम, पदस्थापन स्थल, शैक्षणिक योग्यता एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिशत आधारित आवंटन अलग–अलग होने के कारण सभी कार्यालयों में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय/संविदा राशि में एकरूपता नहीं रखी जा सकती। विभिन्न विभाग अंतर्गत किसी खास योजना अंतर्गत नियुक्त अनुबंध पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर को देय मासिक मानदेय/ संविदा राशि में एकरूपता रखी जाती है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के

	अधिसूचना संख्या 4011 दिनांक 18.08.2020 द्वारा राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा उनकी सेवा शर्त्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा हेतु विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उपरोक्त उच्च स्तरीय समिति का अबतक 04 (चार) बैठकें हो चुकी है एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1212 दिनांक 01.03.2023 एवं पत्रांक 1626 दिनांक 18.03.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त समिति द्वारा अनुशंसा प्रदान करने की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि•स• (4)–04/2023 69/वि०स० रॉंची/दिनांक: 18/03/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची के ज्ञाप सं. प्र. 225/वि०स०, दिनांक 23.02.2023 के आलोक में उत्तर सामग्री अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.3.23

(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

557

माननीय स०वि०स० डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–20 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के पाँकी, तरहसी एवं मनातू प्रखण्ड को मिलाकर पाँकी को अनुमण्डल का दर्जा देने के संबंध में आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के माध्यम से उपायुक्त, पलामू द्वारा अनुशंसा जनवरी, 2019 में विभाग को प्राप्त कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 के बाद प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की बैठक नहीं हो पायी है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय समिति की बैठक कराकर पाँकी को अनुमण्डल का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिला के उपायुक्त के अनुशंसित प्रस्ताव पर प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन के बिन्दु पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। पांकी को अनुमण्डल का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् 'पांकी' को अनुमण्डल का दर्जा देने के बिन्दु पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–08/2023 का०– 1576/राँची, दिनांक– 16.03.2023

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1099 दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/2023
(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

558

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–52 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत राँची में पुलिस टी0ओ0पी0 के नाम से रैयत के जमीन पर जबरन/अवैध रूप से अरगोड़ा थाना का कडरू टी0ओ0पी0 एवं लोअर बाजार थाना का डंगरा टोली पुलिस टी0ओ0पी0 बना दिया है;	अरगोड़ा थाना अन्तर्गत कडरू पुलिस टी०ओ०पी० विगत 10 वर्षों से अधिक समय से लगातार कार्यरत है। अब तक टी०ओ०पी० का निर्माण जबरन कराने से संबंधित कोई शिकायत दर्ज नहीं है। लोअर बाजार थाना अन्तर्गत डंगरा टोली पुलिस टी०ओ०पी० की भूमि का राजस्व अभिलेख में एम०एस० खतियान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन कौंसिल (दखलकार गैरमजरूआ आम) दर्ज है।
2	क्या यह बात सही है कि अरगोड़ा थाना का कडरू टी0ओ0पी0 स्व0 राम खेलवान राम की जमीन खेवट नं0–2, खाता नं0–38, प्लॉट नं0–298, रकवा लगभग 08 डिसमील पर है एवं लोअर बाजार थाना का डंगरा टोली टी0ओ0पी0 चंदा उरांव, जीरगा उरांव, कोम उरांव, लालपुर, कुम्हार टोली की M-S- Plot No–2324, गाँव–कोन्का (Village-Konka) पर अवस्थित है;	अरगोड़ा थाना का कडरू टी०ओ०पी० के संबंध में अंचल अधिकारी, अरगोड़ा के प्रतिवेदनानुसार मौजा–कडरू के ऑनलाईन पंजी–II, के भाग संख्या–VI, पृष्ठ सं0–85 पर दाखिल खारिज वाद संख्या–2299R27 / 1991-92 स्वीकृति दिनांक–31.03.1992 के आधार पर राम खेलावन राम, पिता सुखलाल राम रवि के नाम जमाबंदी दर्ज है। लोअर बाजार थाना का डंगरा टोली पुलिस टी०ओ०पी० के संबंध में अंचल अधिकारी, शहर, रॉची के प्रतिवेदनानुसार एम०एस० प्लॉट नं0–2322 पर अवस्थित है, जिसका राजस्व अभिलेख एम०एस० खतियान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन कौंसिल (दखलकार गैरमजरूआ आम) दर्ज है।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार झारखण्ड के राँची जिले में जबरन/अवैध रूप से बने अरगोड़ा थाना का कडरू टी0ओ0पी0 एवं लोअर बाजार थाना का डंगरा टोली पुलिस टी0ओ0पी0 को शीघ्र खाली कर रैयत को वापस करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों	अरगोड़ा थाना अन्तर्गत कडरू टी०ओ०पी० भवन निर्माण हेतु मौजा कडरू स्थित खाता नं0–171, प्लॉट नं0–162, रकवा 0.16 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि उपायुक्त, रॉची द्वारा पत्रांक 1460(ii)/रा0, दिनांक 29.04.2018 के माध्यम से निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। आवंटित भूमि पर भवन निर्माण होते ही टी०ओ०पी० को खाली कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–11/2023–...1336.../ राँची, दिनांक– 19/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1115, दिनांक–13.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

559

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–20 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बड़का चुम्बा, मंझला चुम्बा, मनुवा फुलसराय एवं बुमरी पंचायत रामगढ़ जिला के अन्तर्गत आते है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित पंचायतों का वर्त्तमान प्रखण्ड–डाड़ी, थाना–गिद्दी, जिला–हजारीबाग है जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अव्यवहारिक प्रतीत होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्णित चारों पंचायतों डाड़ी प्रखण्ड के अंतर्गत नहीं है, अपितु रामगढ़ जिला के माण्डू प्रखण्ड के अंतर्गत हैं। उक्त पंचायतों का क्षेत्राधिकार गिद्दी थाना, हजारीबाग जिला अंतर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जनहित में वर्णित पंचायतों को रामगढ़ जिला अन्तर्गत कुज्जू थाना में करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	रामगढ़ जिला अन्तर्गत माण्डू प्रखण्ड के बड़का चुम्बा, मंझला चुम्बा एवं बुमरी पंचायत को गिद्दी थाना के कार्यक्षेत्र से विमुक्त कर कुज्जू ओ०पी० के कार्यक्षेत्र से तथा मनुवा पंचायत को गिद्दी थाना के कार्यक्षेत्र से विमुक्त कर रामगढ़ थाना के कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव–सह–अनुसंशा आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/उपायुक्त, हजारीबाग एवं उपायुक्त, रामगढ़ से प्राप्त हुई है। उक्त पंचायतों के थाना कार्यक्षेत्र परिवर्त्तन की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–04/2023–1301/ राँची, दिनांक– 18/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–382, दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

(560)

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में पुरान जाति (खतियानधारी) अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने की सभी अहर्त्ता पूरी करती है;	वस्तुस्थिति यह है कि THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2022 (No. 8 OF 2022) के द्वारा पुरान जाति को झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के क्रमांक–33 पर सूचीबद्ध किया जा चुका है।
2.	क्या यह बात सही है कि पुरान जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुरान जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की इच्छा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–19 / 2023 का0– 1567 /रांची, दिनांक 16.03.2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–1095, दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.23

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

561

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–45 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर L.P.A No–272/ 2018, दिनांक–14.02.2022 के आदेश के आलोक में राज्य सरकार को राज्य के गृह रक्षकों को पुलिस आरक्षी के अनुरूप समान कार्य का समान वेतन (वेतन+ग्रेड पे+ महँगाई भत्ता+घुलाई भत्ता) देने के मामले पर पूर्व में विभाग के द्वारा सदन में उक्त मामले न्यायालय के अधीन होने की बात स्वीकार की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा L.P.A No–272/2018, आदेश संख्या–11, दिनांक– 12.01.2023 के आलोक के अनुसार राज्य के गृह रक्षकों को पुलिस आरक्षी के अनुरूप समान कार्य का समान वेतन (वेतन + ग्रेड पे + महँगाई भत्ता + घुलाई भत्ता) तीन माह के अन्दर देने का आदेश पारित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राज्य के गृह रक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ नहीं मिल रहा है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गृह रक्षकों को पुलिस आरक्षी के समतुल्य वेतन (वेतन + ग्रेड पे + महँगाई भत्ता + घुलाई भत्ता) कर्तव्य भत्ता एवं कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	L.P.A No–272 of 2018 के मामले में दिनांक–12.01.2023 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में कार्रवाई विचाराधीन है। झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 के द्वारा गृह रक्षक की कर्त्तव्य अवधि एवं दैनिक भत्ता का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार गृह रक्षक की कर्त्तव्य अवधि अस्थायी होती है। गृह रक्षक को आपात स्थिति में प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जाता है और जैसे ही आपात स्थिति समाप्त होती है, उसे कर्त्तव्य से विमुक्त कर दिया जाता है। कर्त्तव्य अवधि में उसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दैनिक कर्त्तव्य भत्ता का भुगतान किया जाता है। इसलिए गृह रक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देय नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स०(ब०) सत्र–22/2023–....1335../ राँची, दिनांक– 18/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–966, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

562

श्री सुदेश कुमार महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–48 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर झारखण्ड आंदोलनकारियों/आश्रितों की नियुक्ति किए जाने की घोषणा की गई है;	स्वीकारात्मक। (क) विभागीय संकल्प सं०–2108, दिनांक–07.05.2012 द्वारा झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलनों के आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य सरकार के तृतीय/चतुर्थ वर्गीय पद पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान निम्नरूपेण किया गया था :– 1. पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत आन्दोलनकारी के आश्रित परिवार के एक सदस्य को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियोजित किया जायेगा। (ख) विभागीय संकल्प संख्या–1938, दिनांक–20.04.2021 द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–2108, दिनांक–07.05.2012 को विलोपित करते हुए झारखण्ड आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय/चतुर्थ वर्गीय पद पर सीधी नियुक्ति देने निमित निम्नांकित प्रावधान किया गया है :– 1. पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत या दिव्यांग हुए (40% से ज्यादा) आंदोलनकारी के आश्रित परिवार के एक सदस्य को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड आन्दोलनकारी या उनके आश्रितों की नियुक्ति नगण्य है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना स०–4987, दिनांक–18.09.2019 द्वारा संकल्प सं०– 2108, दिनांक–07.05.2012 की कंडिका–1 के आलोक में साहेबगंज जिला के 15 एवं पूर्वी सिंहभूम जिला के 01 आंदोलनकारी के आश्रित को राज्य सरकार के तृतीय/चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विभागीय अधिसूचना सं०–4920, दिनांक–10.08.2015 द्वारा गोड्डा जिला के 01 आंदोलनकारी के आश्रित को राज्य सरकार के तृतीय/चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिन्हितीकरण आयोग से उपरोक्त विभागीय संकल्प सं०–1938, दिनांक– 20.04.2021 की कंडिका–2(v) में चिन्हित आंदोलनकारी के आश्रित को सीधे तृतीय/चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु सम्प्रति विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव/अनुशंसा प्राप्त नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–708/2023–1332/ राँची, दिनांक– 18/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1097, दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

563

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–37 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत चल रहे चट्टी बरियातू परियोजना के विस्थापित विगत 2 जनवरी से विभिन्न मांगों को लेकर धरनारत है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दिनांक–16.02.2023 को स्थानीय विधायक, कोल कंपनियों पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय विस्थापितों के बीच वार्ता बेनतीजा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि दिनांक–20.02.2023 को जिला उपायुक्त हजारीबाग, पुलिस अधीक्षक हजारीबाग सहित लगभग 1000 पुलिस बल की तैनाती के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों को खदेड़ कर जबरन ट्रांसपोर्टिंग शुरू कराया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत केरेडारी प्रखण्ड के लवनिया मोड़ से ग्राम जोरदाग (झुमरीटांड़) तक, केरेडारी कालीकरण रोड से पगार होते हुए चट्टी तक, व बुकरु मोड़ से झुमरीटांड़ तक के पथ पर NTPC चट्टी बारियातु कोयला उत्खनन परियोजना के उत्खनित कोयला को NTPC एवं उनके अधीनस्थ रित्विक ए०एम०आर०, जय अम्बे रोड लाइंस प्रा०लि०, टुली माईनिंग कॉरपोरेशन प्रा०लि० द्वारा उक्त कोयला को निर्दिष्ट स्थानों पर भेजने के लिए सड़क का उपयोग किये जाने का ग्राम–जोरदाग (झुमरीटांड़) चट्टी बारियातु के स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे थे। उक्त उत्खनित कोयला परिवहन हेतु विधि–व्यवस्था संधारण के लिए हजारीबाग जिला संयुक्तादेश सं0–52/53/मु० (सी०). दिनांक– 19.02.2023 के माध्यम से दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी थी । एन०टी०पी०सी० चट्टी बारियातु कोयला उत्खनन परियोजना के साथ ग्रामीणों के वार्ता के पश्चात् दिनांक–20.02.2023 से सुचारु रुप से कोयला का परिवहन किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बगैर ग्रामीणों की मांग को पूरा किए की जा रही खनन व ट्रांसपोर्टिंग कार्य कर रही एनटीपीसी एवं उनके ठेकेदारों पर कार्रवाई करने तथा कार्य करने से पूर्व ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–13/2023–1548/ राँची, दिनांक– 18/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–853, दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

564

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बरनवाल/वर्णवाल/वर्नवाल/मोदी झारखण्ड में वस्तुतः एक ही जाति है,	आंशिक स्वीकारात्मक। बर्नवाल तथा मोदी झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 में दर्ज बनिया समूह की जातियाँ हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि मोदी जाति को छोड़कर अबतक ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में सूचीबद्ध नहीं किया गया है,	अस्वीकारात्मक। मोदी जाति के साथ–साथ लगभग 134 जाति/उपजातियों को झारखण्ड राज्य के लिए केन्द्रीय ओ0बी0सी0 की सूची में शामिल किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि बनरवाल/वर्णवाल/वर्नवाल, वनिया (राकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल/ जैशवार, कमलापुरी, वैश्य, बनिया, माहुरी, वैश्यक, (बंगाली बनिया), (पोद्दार, कशोधन), गंधबनिया/ ओमर/उमर वैश्य/बनिया (बनवार) और सुवर्ण वनिक, अष्टलोही कर्ममार, स्वर्णकार, इत्यादी 36 जातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में सम्मिलित कराने हेतु झारखण्ड सरकार के पत्रांक–4194, दिनांक–28.02.2020 द्वारा पत्र लिखा है;	अंशतः स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर दर्ज बनिया (राकी एवं वियाहुत कलवार, जायसवाल/जैशवार, कमलापुरी, वैश्य, बनिया, माहुरी, वैश्य, बंगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, (पोद्दार, कसोधन), गंधबनिक/ गंधबनिया/ ओमर/उमर वैश्य/बनिया (बनवार) के साथ–साथ पिछड़े वर्गों की कुल 36 जाति/उपजाति को झारखण्ड राज्य के लिए केन्द्रीय ओ0बी0सी0 की सूची में शामिल करने हेतु विभागीय पत्रांक–4194, दिनांक–28.08.2020 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।
4.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार ने जातियों को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार राज्यों को ही दे दिया है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) तथा पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में जातियों को सम्मिलित करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है, परन्तु केन्द्रीय ओ0बी0सी0 की सूची में जातियों को भारत सरकार द्वारा सम्मिलित किया जाता है। राज्य सरकार के पिछड़े वर्गों की सूची में दर्ज जातियों को केन्द्रीय ओ0बी0सी0 सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अनुशंसा भेजी जाती है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरनवाल/वर्णवाल/वर्नवाल को ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में सम्मिलित करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–21/2023 का0–1584/रांची, दिनांक 17/03/2023

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–1094, दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.23

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(565)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–38 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य अन्तर्गत पुलिस कर्मियों को दो हजार रुपये प्रतिमाह भोजन भत्ता तथा चार हजार रुपये प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता अनुमान्य है, जिससे यहाँ के पुलिस कर्मियों को कठिनाईयाँ हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के पुलिस कर्मियों को 2,000/– (दो हजार रूपये) प्रतिमाह राशन भत्ता देय है तथा सिपाही/ हवलदार कोटि के कर्मी को 4,000/–(चार हजार रूपये) प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता के रूप में अनुमान्य है।
2	क्या यह बात सही है कि देश के अन्य राज्य यथा बिहार में 3 हजार 5 सौ रुपये प्रतिमाह भोजन भत्ता तथा 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता के रूप में अनुमान्य है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बिहार राज्य के संकल्प सं०–8045/वि०, दिनांक–11.10.2017 के अनुसार आरक्षी कर्मी (सिपाही से निरीक्षक) को 3,000/–(तीन हजार रूपये) प्रतिमाह राशन मनी भत्ता अनुमान्य किया गया है। साथ ही बिहार राज्य के पुलिस कर्मी यथा सिपाही/हवलदार कोटि के कर्मी को 10,000/–(दस हजार रूपये) प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता के रूप में अनुमान्य किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देश के अन्य राज्य यथा बिहार के समतुल्य भोजन भत्ता 3 हजार 5 सौ रुपये प्रतिमाह तथा 10 हजार रुपये वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड पुलिस के कर्मियों को मिलने वाले भोजन एवं वर्दी भत्ता का पुनरीक्षण समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता रहा है। वर्त्तमान में भोजन एवं वर्दी भत्ता को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके संदर्भ में अन्य पड़ोसी राज्यों में पुलिस कर्मियों के भत्ता पुनरीक्षण की क्या स्थिति है, इससे संबंधित प्रतिवेदन की मांग पुलिस मुख्यालय से की गयी है। सम्प्रति पुनरीक्षण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–08/2023–1300/ राँची, दिनांक– 18/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–854, दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

566

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–50 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रांची जिला के खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत मैक्लुस्कीगंज थाना लोहरदगा लातेहार तथा चतरा जिला के सीमा पर अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज थाना में एस०एस०बी० एवं आर०आर०बी० अर्द्धसैनिक पुलिस बल पदस्थापित रहने के कारण अपराधिक घटनाओं में कमी आयी थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। पूर्व में अगस्त 2016 से जून 2018 तक मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में एस०एस०बी० की एक कम्पनी की प्रतिनियुक्ति रही है। एस०एस०बी० एवं राज्य पुलिस बल के संयुक्त प्रयास से अपराधिक घटनाओं में कमी आई थी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज थाना में कानून व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल (CRPF/SSB) की कम्पनियों की प्रतिनियुक्ति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल अभियान हेतु की जाती है। वर्तमान में मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में झारखण्ड सशस्त्र पुलिस एवं सैप बलो की प्रतिनियुक्ति की गई है एवं मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में राज्य बलों के द्वारा अपराध एवं उग्रवाद नियंत्रण हेतु सार्थक कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–09/वि०स० (10)–06/2023–1546/ राँची, दिनांक– 18/03/2023 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1096, दिनांक–09.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

(567)

श्री अमित कुमार मण्डल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014 से 2019 तक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से विभिन्न पदों पर एक लाख सरकारी नौकरी दी गई है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के निमित्त प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जाती है एवं तदोपरांत संबंधित विभाग को अनुशंसा उपलब्ध करायी जाती है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्रांक 301 दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2014 से 2019 तक आयोग द्वारा 28366 (अठाइस हजार तीन सौ छियासठ) अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रशासी विभागों को अनुशंसा की गयी है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक 761 दिनांक 16.03.2023 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 तक कुल 34 विज्ञापनों के निमित्त सम्पन्न प्रतियोगिता परीक्षा/अन्तर्विक्षा के आधार पर विभिन्न पदों के लिए कुल 1545 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 से अब तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से JPSC के 250 नियुक्ति के बाद एक भी नई नियुक्ति की अधिसूचना वर्तमान सरकार में नहीं हुई है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2021 एवं 2022 में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के आलोक में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायक के कुल 58 रिक्त पदों एवं रिम्स, राँची अन्तर्गत परिचारिका श्रेणी 'ए' के कुल 333 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 से अब तक (फरवरी 2023) कुल 45 विज्ञापनों के निमित्त सम्पन्न प्रतियोगिता परीक्षा/अन्तर्वीक्षा के आधार पर विभिन्न पदों के लिए कुल 2995 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चुनावी घोषणा के अनुरूप प्रति वर्ष पाँच लाख यानी वित्तीय वर्ष 2022–23 तक 15 लाख सरकारी नौकरी देने की मंशा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न स्तर की प्रतियोगिमता परीक्षाओं के लिए परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के निमित्त विभागों से अधियाचना प्राप्त करते हुए विज्ञापन के प्रकाशन की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।

कृ0पृ0उ0/–

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–15 / 2023 का0 1618 / राँची दिनांक– 17/03/23

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 845 दिनांक 02.03.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

(568)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड के कारा में कार्यरत कक्षपाल संवर्ग को राशन भत्ता के रूप में 100 रूपये प्रति माह जबकि पुलिस विभाग में 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के पुलिस कर्मियों को 13 माह के वेतन प्राप्त है जबकि कारा कक्षपालों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि काराओं में कार्यरत कक्षपालों का ग्रेड पे 1900 है जबकि समान शैक्षणिक योग्यता एवं फिटनेस टेस्ट में बहाल आरक्षी का ग्रेड पे 2000 है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड के काराओं में कार्यरत कक्षपाल संवर्ग को पुलिस आरक्षी संवर्ग के समतुल्य राशन भत्ता, 13 माह का वेतन व ग्रेड पे उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति झारखण्ड के काराओं में कार्यरत कक्षपाल संवर्ग को पुलिस आरक्षी संवर्ग के समतुल्य राशन भत्ता, 13 माह का वेतन व ग्रेड पे उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–03/2023–.....1330./ राँची, दिनांक– 18/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–851, दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना ।

उत्तर मुद्दित

*569. श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के राँची, खूँटी, सिमडगा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम जिले में निवास कर रही भुईयाँ जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, परंतु खतियान में भुईयाँ जाति की उपाधि या पदवी पाईक, खण्डित पाईक, खण्डित, खण्डित भुईयाँ आदि के रूप में दर्ज है;

(2) क्या यह बात सही है कि खतियान में भुईयाँ जाति दर्ज नहीं होने के कारण भुईयाँ जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भुईयाँ जाति सभी उपाधी वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ-साथ आरक्षण का लाभ दिलाने हेतु जाति-प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशत: स्वीकारात्मक । ''भुईयाँ'' जाति झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक-4 पर सूचीबद्ध है ।

(2) अस्वीकारात्मक । झारखण्ड राज्य हेतु अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध जातियों को प्रभावी नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है ।

(3) झारखण्ड राज्य की भुईयाँ जाति की उपजातियाँ क्षत्रीय, पाईक, खंडित पाईक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रीय, खंडित भुईयाँ तथा गड़ाही/गरही को भुईयाँ जाति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की राज्य सरकार की अनुशंसा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गयी थी । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2022 द्वारा सूचित किया गया है कि निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव पर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा असहमति जताई गई है ।

उपर्युक्त जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के संबंधत में RGI कार्यालय की टिप्पणी के प्रसंग में यदि कोई अतिरिक्त सूचना/मंतव्य/औचित्य हो, तो उससे अवगत कराने का अनुरोध डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची से की गई है ।

570

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–42 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत कामगारपुर पुलिस पिकेट के भवन निर्माण कराने हेतु हुसैनाबाद अंचल अंतर्गत कुर्मीपुर ग्राम में खाता संख्या–49, प्लॉट संख्या–08, रकबा–19 डिसमिल, जमीन भूमिदाता के द्वारा दान की गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक, पलामू के द्वारा वर्णित भूमि पर कामगारपुर पुलिस पिकेट के भवन निर्माण कराने हेतु मई, 2022 में प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजी गई है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अंतर्गत कामगारपुर पुलिस पिकेट के भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स० (ता०)–805/2023–1547/ राँची, दिनांक– 18/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–963, दिनांक–04.03.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव।

571

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के धनवार (घोड़थम्बा OP) में केस संख्या–18/22 में माँ/बेटी के हत्यारों कि गिरफ्तारी नहीं हुई है;	स्वीकारात्मक। धनवार (घोडथम्बा ओ0पी0) कांड सं0–18/2022, दिनांक–26.01.2022, वादी मो0 आबिद पिता–रमजान मियाँ, सा0–महेशमरवा, टोला–झलकडीहा, थाना–धनवार (घोडथम्बा ओ0पी0), जिला–गिरिडीह के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध दर्ज की गई है। अबतक के अनुसंधान के क्रम में एक संदिग्ध अपराधकर्मी का नाम प्रकाश में आया है, जिस पर ठोस साक्ष्य उपलब्ध करने हेतु गहन अनुसंधान एवं अन्य स्त्रोंतो एवं तकनीकी रूप से भी जाँच किया जा रहा है। यथाशीघ्र पूर्ण रूप से ठोस साक्ष्य संकलन करने के उपरांत घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी की जायेगी। वर्तमान में कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।
2	क्या यह बात सही है कि बागोदर थाना कांड संख्या–15/22 में ग्राम सभा में दिन दहाड़े हरिलाल महतो के हत्या के आरोपी थाना की लापरवाही से 3 माह में ही जमानत, से बाहर आ जाते है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बगोदर थाना काण्ड सं0 15/22 दिनांक–22.01.2022, प्राथमिकी अभियुक्त 1. अरविन्द कुमार महतो, पे0 स्व0 जेठु महतो, 2. गोविन्द राजन चौधरी, 3. हेमलाल चौधरी, दोनों पे0–जमदेव उर्फ ज्ञानदेव महतो, 4. विरेन्द्र कुमार चौधरी उर्फ वासुदेव, पे0–स्व0 देवनारायण चौधरी, 5. कामेश्वर चौधरी, पे0 स्व0 जमदेव महतो, सभी सा0–घाघरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह के विरूद्ध सत्य पाया गया है, एवं सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उक्त अभियुक्तों में से क्रम सं0 01 से 04 तक को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची द्वारा मृतक के उपर किये गये हमले को वादी पक्ष द्वारा साबित नहीं करने के कारण जमानत पर मुक्त किया गया है। अभियुक्त कामेश्वर चौधरी अभी न्यायिक हिरासत में काराधीन हैं, जिसके विरूद्ध पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया है।
3	क्या यह बात सही कि अभी 7 फरवरी 23 को बेंगाबाद थाना के खंडोली में छात्र विशाल का जला हुआ शव संदिग्ध अवस्था में मिला;	स्वीकारात्मक। बेंगाबाद थाना अन्तर्गत खण्डोली के पास जंगली इलाके से छात्र विशाल का जला हुआ शव संदिग्ध स्थिति में पाया गया। इस मामले में बेंगाबाद थाना काण्ड सं0–31/2023, दिनांक–07.02.2023 अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अबतक के अनुसंधान, घटनास्थल के निरीक्षण, वादी एवं गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से इस काण्ड में हत्या का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अनुसंधान में आये अभी तक के प्राप्त साक्ष्य मुतक द्वारा आत्महत्या की तरफ इंगित करते हैं। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिला के उपरोक्त मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–01/2023–1462/ राँची, दिनांक– 19/03/2023ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–51, दिनांक–17.02.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

572

माननीय मनीष जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित

प्रश्न संख्या का०–17 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2013 में सचिवालय सेवा संवर्ग के लगभग 05 सौ सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों (सम्प्रति सचिवालय सहायक) की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कुल 483 उक्त पदाधिकारियों को अधिसूचना संख्या–4800 दिनांक–29.07.2022 अन्तर्गत प्रोन्नति देते हुए उक्त धारित पद ही सम्बन्धित विभाग में पदस्थापन कद दी गई जबकि किसी भी सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का एक पद पर किसी भी परिस्थिति में एक ही विभाग में 03 वर्षो से अधिक पदस्थापित या किसी अन्य पदों पर प्रतिनियुक्त रहना नियम सम्मत नहीं है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 1. विभागीय अधिसूचना संख्या–4800 दिनांक–29.07.2022 के द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के कुल 483 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई तथा उनके द्वारा धारित पद को प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया गया। 2. सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–14747 दिनांक–06.09.1979 एवं 16609 दिनांक–18.10.1979 तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या–3918 दिनांक–25.10.1980 एवं 3445 दिनांक–07.09.1981 द्वारा नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें निम्न प्रावधान है :– सहायक के पद पर किसी विशेष विभाग/कार्यालय में पदस्थापन की अवधि साधारणतः दस वर्ष होगी। प्रशाखा पदाधिकारी, निबंधक, अवर सचिव और उप सचिव के पद पर किसी विशेष विभाग/कार्यालय में पदस्थापन की अवधि सामान्यतः तीन वर्षो की होगी।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सेवा पदाधिकारियों को कार्य कोटि पद 03 वर्ष पदस्थापित के बाद 03 वर्षो तक अकार्य कोटि पद पर पदस्थापित का प्रावधान है परन्तु सरकार राज्य में उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है जिसके कारण राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखण्ड मुख्यालय तक एक–एक पदाधिकारी 10–10 वर्षो से कार्य कोटि पद पर पदस्थापित है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। संकल्प सं० सी० एस० 3 एम० 3/1016/80–3918 दिनांक–25.10.1980 – सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में समय–समय पर नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सकंल्प संख्या–14747 दिनांक–06 सितम्बर, 1979 एवं सं० 166609 दिनांक–18 अक्टूबर, 1979 द्वारा नीति एवं प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें निम्न प्रावधान है :– प्रत्येक पद पर या किसी विशेष स्थान पर पदस्थापन की अवधि साधारणतः तीन साल होगी। किसी विशेष पद या स्थान के लिए पदस्थापन दो साल के लिए भी किया जा सकता है, जिसे विभाग द्वारा स्थायी आदेश के जरिये निर्धारित करना होगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार में संचालित विभागीय परिपत्र संग्रह का अनुपालन करते हुए खण्ड–01 में वर्णित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण करते हुए खण्ड–02 में वर्णित प्रावधान का अनुपालन पूरे राज्य में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–14747 दिनांक–06.09.1979 एवं 16609 दिनांक–18.10.1979 तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या–3918 दिनांक–25.10.1980 एवं 3445 दिनांक–07.09.1981 द्वारा निर्धारित नीति/प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तों का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7 / संसदीय कार्य–902 / 2023 का॰ 1586 / राँची, दिनांक 17/03/23

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–847 दिनांक–02.03.2023 के प्रसंग में 250 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2023
सरकार के उप सचिव।

(573)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–24 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री रामदास सोरेन, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत घाटशिला अनुमण्डल में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पद कई वर्षो से रिक्त है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पदाधिकारी का पद रिक्त होने के कारण संबंधित अनुमण्डल में भूमि संबंधित कार्य प्रभावित हो रही है, जिससे उक्त क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या–2802/रा0, दिनांक –09.10.2020 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत वैसे जिले जहाँ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पद रिक्त है वहाँ संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता की शक्ति प्रदान की गयी है। स्थानीय व्यवस्था के तहत् उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, घाटशिला का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित अनुमण्डल में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पद पर विभागीय स्तर से पदस्थापन की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा तत्स्तरीय पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराये जाने के उपरांत की जाती है। विभागीय पत्रांक–225/रा0, दिनांक– 19.01.2023 के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सेवा प्राप्त होने के उपरांत पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 02/रा0स्था0वि0स0(तारांकित)–24/2023 1097 /रा0, दिनांक– 18-03-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1116/वि0स0, दिनांक–13.03.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1520 (अनु0), दिनांक–14.03.2023/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/23
सरकार के उप सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

574

श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–20.03.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि JSSC के अधीन 12 नियुक्ति परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसमें 25 लाख अभ्यर्थियों ने रू0–500 से रू0–1000 शूल्क JSSC स्नातक में जमा किया है;	W.P.(C) No. 3894/2021 रमेश हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 604, दिनांक 30.01.2023 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश से आच्छादित 12 (बारह) परीक्षाओं के विज्ञापनों को रद्द किया गया। उक्त परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापनों के विरूद्ध आयोग को कुल 11,15,397 (ग्यारह लाख पन्द्रह हजार तीन सौ संतानबे) वैध आवेदन प्राप्त हुए। परीक्षा शुल्क के रूप में उक्त विज्ञापनों के अधीन सामान्य/अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1/पिछड़ा वर्ग–2 कोटि के अभ्यर्थियों से रू0 100/– (एक सौ रूपये) प्रति अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों से रू0 50/– (पचास रूपये) प्रति अभ्यर्थी प्राप्त किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय की गंभीरता के मद्देनजर शूल्क वापसी के साथ–साथ नीति निर्धारण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वैसे अभ्यर्थी जिनसे खण्ड–1 में वर्णित विज्ञापन के आलोक में परीक्षा शुल्क ली गई है एवं जो भविष्य में प्रकाशित किए जाने वाले नए विज्ञापनों के अंतर्गत निहित अर्हत्ताओं को पूरा नहीं करेंगे, उन अभ्यर्थियों द्वारा दावा करने पर परीक्षा शुल्क आयोग द्वारा वापस करने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–13/2023 का0 1488 /राँची दिनांक– 13/03/2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 380 दिनांक 24.02.2023 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अमर कुमार, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023
सरकार के अवर सचिव।